14/3/2022	पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई। प्रतिवादीगण 1 ता 3 की ओर से वकील श्री अमित पांचाल द्वारा वकालतनामा मय इकबाली जवाब दावा पेश किया गया। बाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया गया निर्णय अलग इजलास सुनाया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली कौंसल कुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो	रामचरण भीमराज जि. [illegible] 9169 काउंसलिंग [illegible] TDR [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:35:58 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 11/2022

तारीख दायरा 10.02.2022

उनवान

1. हेमन्त रायका उर्फ हिम्मतराज पुत्र जोधराज जाति रेबारी निवासी ग्राम ढाणी उर्फ नयागांव तहसील सांगोद हाल निवासी मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
2. मुकेशबाई उर्फ मुकेशीबाई पुत्री जोधराज पतनी अर्जुनलाल जाति रेबारी निवासी ढाणी उर्फ नयागांव हाल निवासी बरखेडा गंगासा तहसील गरोठ जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश।
3. नीरू उर्फ मीरा पुत्री जोधराज पत्नी भीमराज जाति रेबारी निवासी ढाणी उर्फ नयागांव तहसील सांगोद हाल भीम का खेडा बून्दी जिला बून्दी। — वादीगण

बनाम

1. भीमराज पुत्र जोधराज जाति रेबारी।
2. रामचरण पुत्र जोधराज जाति रेबारी।
3. शंभूबाई बेवा जोधराज जाति रेबारी निवासीगण ग्राम ढाणी उर्फ नयागांव तहसील सांगोद हाल निवासी मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
4. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद। — प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 [illegible] एक्ट</u>

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:35:58 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :—

श्री सुशील कुमार शर्मा (वकील वादीगण) दिनांक :— 12.03.2022

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

श्री अमित पांचाल (वकील प्रतिवादीगण)

--निर्णय--

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता इस आशय का वाद प्रस्तुत किया कि वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम ढाणी उर्फ नयागांव पटवार हलका लटूरा तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता स0 नई 14 के खसरा न0 115 की 0.02 हैक्टर, खसरा न0 135 की 1.36 हैक्टर, खसरा न0 92 की 0.16 हैक्टर कुल किता 3 की 1.54 हैक्टर आराजीयात स्थित है जिसको वादीगण व प्रतिवादी न0 1 ता 3 शांति पूर्वक काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण के पिता श्री जोधराज की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी न0 2 रामचरण द्वारा फौती नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रतिवादी न0 2 द्वारा वादीगण के दस्तावेज के आधार [illegible] पत्र न देकर घर के बोलते नाम लिखकर वादी न0 1 हेमन्त रायका के स्थान पर हेमन्तराज और मुकेशबाई के स्थान पर मुकेशीबाई व नीरू के स्थान पर मीराबाई सहवन से दर्ज करवाये और उसी के आधार पर नामान्तरण दर्ज हो गया जिससे वादीगण को अपने नाम गलत होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है तथा वादीगण न तो अपनी आराजी का विकास कार्य करवा पा रहे हैं और न ही सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान/सहायता राशि प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद नाम शुद्वि करवाने के लिए पटवारी हलका से मिलने पर तथा नाम शुद्वि करने की कहने पर पटवारी हलका द्वारा उक्त नाम शुद्वि करने मे अपनी असमर्थता जाहिर की तथा न्यायालय से ही नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:35:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

शुद्वि करवाने की घोषणा करवाने की कहने पर माननीय न्यायालय में उक्त वाद वास्ते नाम शुद्वि घोषणा हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक होने से वाद प्रस्तुत किया गया।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। दिनांक 12.03.2022 को पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में रखी गई। प्रतिवादी न0 1 ता 3 की ओर से वकील श्री अमित पांचाल ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने मे अपनी सहमति प्रदान की है तथा प्रतिवादी न0 4 द्वारा वादीगण के वाद से कोई राजहित प्रभावित नहीं होने तथा पटवारी हलका की रिपोर्ट के आधार पर वाद डिक्री किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं करायी है। वादीगण द्वारा अपना शपथ पत्र बयान प्रस्तुत किया गया व अन्य सहखातेदार प्रतिवादी रामचरण के बयान शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये।

बहस वकील वादीगण सुनी जाकर पत्रावली का पर उपलब्ध दस्तावेज, रेकार्ड, जमाबंदी, इकबाली जवाब दावा, पटवारी रिपोर्ट एवं जवाब सरकार आदि का गहनता से अवलोकन करने पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाने योग्य पाऐ जाने से स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि –

माल ग्राम ढाणी उर्फ नयागांव पटवार हलका लटूरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान में स्थित खाता स0 नई 14 के खसरा न0 115 की 0.02 हैक्टर, खसरा न0 135 की 1.36 हैक्टर, खसरा न0 92 की 0.16 हैक्टर कुल किता 3 की 1.54 हैक्टर आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में दर्ज गलत नाम हिम्मतराज के स्थान पर हेमन्त रायका, मुकेशीबाई के स्थान पर मुकेश बाई व मीराबाई के स्थान पर नीरू दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा उक्त घोषणा के अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज कर अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक का चार्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:35:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

...पृथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादीगण स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:35:58 IST
Reason: SelfAttested